(राजीव नारायण रैना, जे.)

राजीव नारायण रैना से पहले, जे.

हल्दी सहकारी क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड-याचिकाकर्ता

बनाम

रामेश्वर और एक अन्य, उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू. पी. No.1565-1994

2 जनवरी, 2012

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 21,39 और 226/227-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-S.33-C (2)-अनुबंध अधिनियम, 1872-S. 23-चौकीदार चपरासी के रूप में नियोजित कर्मचारी-सेवा की शर्त कि वह संपत्ति की रक्षा आदेश के लिए कार्यालय में रात में सोएगा और अपनी अभाव से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा-S.33-C (2) के तहत आवेदन जो रात की ड्यूटी के कारण ओवरटाइम के लिए मजदूरी का दावा आदेश वाले कर्मचारी द्वारा दायर किया गया था-आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि कर्मचारी के लिए रात में सोने के अलावा कोई काम नहीं था और किसी भी दर पर वह पहले से निर्धारित वेतन पर काम आदेश के लिए सहमत था-श्रम न्यायालय ने कर्मचारी के वेतन को दोगुना कर दिया-उच्च न्यायालय ने रिट अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप आदेश से इनकार कर दिया, क्योंकि

अभिनिर्धारित किया गया कि इस न्यायालय को लगता है कि प्रत्यर्थी-प्रबंधन से वेतन/ओवरटाइम अवशिष्ट के माध्यम से प्रबंधन के खिलाफ आईडी 1,522/- की राशि देने में श्रम न्यायालय का निष्कर्ष श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों और पुरस्कारों के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं है।दिनांकित 27.04.1985 संकल्प से बड़े पैमाने पर शोषण स्पष्ट है।नियोक्ता की संपत्ति की रक्षा के लिए रात के शुल्क की लगाई गई शर्त कठोर और अमानवीय है और यह 24/7 कार्य घंटों के बराबर होगी, जिसके लिए श्रम अदालत द्वारा अपने विवेक से किए गए कुछ मुआवजे या ओवरटाइम का आदेश देना गैरकानूनी नहीं होगा।मुझे लगता है कि इस राशि को आई.

एल. आर. पंजाब और हरियाणा के लिए मानवीय सिद्धांतों पर एक राहत के रूप में माना जाना चाहिए।

स्पष्ट ओवरटाइम।यह अतिरिक्त कार्य रेज़ इप्सा लॉक्विटुर है।मुझे कल्पना करनी चाहिए कि सुबह व्यक्तिगत नुकसान के डर के बिना शांतिपूर्ण और निर्बाध नींद का अधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार की प्रकृति में है।यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक एक जैविक आवश्यकता है।अनुच्छेद 21 द्वारा निहित या प्रदत्त अधिकार को सहमति या किसी स्वैच्छिक कार्य द्वारा भी माफ नहीं किया जा सकता है।मैं इसके लिए ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, (1985) 3 एस. सी. सी. 545 से ताकत प्राप्त करूंगा।मेरे विचार से, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली, (1986) 3 एस. सी. सी. 156 में दी गई व्याख्या के अनुसार, सार्वजनिक नीति को रोजगार के अनुबंध में एक अनुचित और अनुचित शब्द होने और अनुबंध अधिनियम, 1872 की खंड 23 का उल्लंघन करने के विपरीत, जब संविधान के अनुच्छेद 39 में सन्निहित वितरण न्यायाधीश के न्यायाधीशशास्त्र संबंधी सिद्धांत पर परीक्षण किया जाता है, तो यह अपमानजनक स्थिति भी कानून की अवहेलना होगी।

(पैरा 6)

याचिकाकर्ता की ओर से जी. एस. संधू, अधिवक्ता

राजीव नारायण रायना, जे।

(1) यह याचिका याचिकाकर्ता-प्रबंधन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर की गई है, जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम') की खंड 33-C (2) के तहत प्रतिवादी No.1/workman द्वारा दिए गए आवेदन पर श्रम न्यायालय, अंबाला के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 20.09.1993 (P-4) के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।प्रबंधन अपना लिखित बयान दाखिल करने के बाद श्रम न्यायालय के समक्ष एकतरफा बना रहा।

(2) संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रतिवादी-कर्मचारी को याचिकाकर्ता-सोसायटी द्वारा 27.04.1985 दिनांकित एक प्रस्ताव द्वारा चौकीदार/चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया था।उन्हें Rs.200-प्रति माह W. E. F. 27.04.1985 का वेतन दिया

गया था।प्रस्ताव में यह शर्त रखी गई थी कि वह उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए सोसायटी के कार्यालय में रात में सोएंगे और यदि "वह

कार्यालय में नहीं सोएंगे, फिर वह किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे "

उनकी अभाव के कारण।(3) ऐसा प्रतीत होता है कि पांच साल की सेवा के बाद, प्रत्यर्थी-कर्मचारी ने 1990 (पी-2) में अधिनियम की खंड 33-सी (2) के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें 27.04.1985 से 3.11.1989 तक की अवधि के दौरान वेतन में वृद्धि के अनुपात में ओवरटाइम का दावा किया गया।

(राजीव नारायण रैना, जे.)

Rs.625-प्रति माह।इस तरह, Rs.15,433/- का कुल दावा किया गया था। प्रबंधन ने बचाव पक्ष को लेते हुए श्रम न्यायालय के समक्ष एक लिखित बयान दायर किया कि उन्होंने Rs.200 के मासिक वेतन पर चपरासी-सह-चौकीदार का काम एक साथ करने के लिए सहमति व्यक्त की थी और सोसायटी के परिसर में सोने के अलावा रात में काम करने के लिए किसी भी कर्मचारी के लिए कोई काम नहीं था।इससे भी आगे कि वह उस गाँव का निवासी था जहाँ नियोक्ता का परिसर स्थित था और इसलिए वह इस काम को करने के लिए सहमत हो गया था।

(4) रिट याचिका के जवाब में, कर्मचारी ने एक लिखित बयान दायर किया है जिसमें कहा गया है कि प्रबंधन ने श्रम न्यायालय के समक्ष एकतरफा कार्यवाही को दरकिनार करने का कोई प्रयास नहीं किया है, और न ही इस याचिका में प्रबंधन के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया है।यह कहा गया है कि अभिवचन और प्रमाण के बीच अंतर है।यह खंड 33-सी (2) आवेदन में कर्मचारी का मामला था कि उसे रात के दौरान चौकीदार के रूप में काम करने के लिए आर्थिक रूप से मुआवजा नहीं दिया गया था।(5) मैंने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री जी. एस. संधू को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख की जांच की है।विद्वान वकील सही हो सकता है कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि कोई अन्य कर्मचारी नहीं है जिसके काम की तुलना की जा सके।यह सिद्धांत केवल तभी लागू होगा जब समान रूप से स्थित कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन मिल रहे हों।रिट याचिका में श्रम न्यायालय के आदेश के खिलाफ एकमात्र मामला यह है कि श्रम न्यायालय समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने और वेतन को दोगुना करने का आदेश देने में गलत था।खंड 33-सी (2) के तहत अधिकार क्षेत्र के संबंध में मुख्य मुद्दे को अभिवचनों में नहीं छुआ गया है; कि ऐसी कार्यवाही निष्पादन कार्यवाही की प्रकृति में होने के कारण पहले से मौजूद अधिकार से पहले होनी चाहिए; और यह कि 27.04.1985 (अनुलग्नक पी-1) दिनांकित संकल्प वास्तव में कामगार का नियुक्ति आदेश था जिसने पहले से मौजूद अधिकार नहीं बनाया था।

(6) इस न्यायालय को लगता है कि प्रत्यर्थी-प्रबंधन से वेतन/ओवरटाइम अवशिष्ट के माध्यम से प्रबंधन के खिलाफ <आईडी1,522/- की राशि देने में श्रम न्यायालय का निष्कर्ष श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों और पुरस्कारों के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली पर्यवेक्षी अधिकार

क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं है।दिनांकित 27.04.1985 (अनुलग्नक पी-1) प्रस्ताव से बड़े पैमाने पर शोषण स्पष्ट है और इस न्यायालय ने दिनांकित 17.02.1994 के एक अंतरिम आदेश द्वारा प्रबंधन को दो सप्ताह के भीतर जमा करने के लिए कहा था I. L. R. पंजाब और हरियाणा

2012(2)

18

आदेश की तारीख से श्रम न्यायालय द्वारा आदेशित आधी राशि और शेष राशि की वसूली पर पहले प्रस्ताव आदेश में रोक लगा दी गई थी।विद्वान अधिवक्ता, श्री संधू, मुझे सूचित करते हैं कि Rs.5761-की राशि दिनांकित 17.02.1994 के अंतरिम आदेश में निर्धारित समय के भीतर श्रम न्यायालय में जमा की जाती है।मामले में जो बचा है वह केवल Rs.5761 की अतिरिक्त राशि है-जो रिट विफल होने की स्थिति में भुगतान की जानी है।ऐसा नहीं है कि कर्मचारी अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही करता है। नियोक्ता की संपत्ति की रक्षा के लिए रात के शुल्क की लगाई गई शर्त कठोर और अमानवीय है और यह 24/7 कार्य घंटों के बराबर होगी, जिसके लिए श्रम अदालत द्वारा अपने विवेक से किए गए कुछ मुआवजे या ओवरटाइम का आदेश देना गैरकानूनी नहीं होगा।मुझे लगता है कि इस राशि को मानवीय सिद्धांतों पर आपात ओवरटाइम के लिए एक मुआवजे के रूप में माना जाना चाहिए।यह अतिरिक्त कार्य रेज़ इप्सा लॉक्विटुर है। मुझे कल्पना करनी चाहिए कि सुबह व्यक्तिगत नुकसान के डर के बिना शांतिपूर्ण और निर्बाध नींद का अधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार की प्रकृति में है।यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक एक जैविक आवश्यकता है। अनुच्छेद 21 द्वारा निहित या प्रदत्त अधिकार को सहमति या किसी स्वैच्छिक कार्य द्वारा भी माफ नहीं किया जा सकता है।मैं इसके लिए ओल्गा से ताकत लूंगा।

टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1)।अपमानजनक स्थिति

यह भी, मेरे विचार से, कानून की अवहेलना होगी जैसा कि सेंट्रल इनलैंड में बताया गया है

जल परिवहन निगम बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली (2)

जब संविधान के अनुच्छेद 39 में सन्निहित वितरण न्यायाधीश के न्यायाधीशशास्त्र संबंधी सिद्धांत पर परीक्षण किया जाता है तो सार्वजनिक नीति को रोजगार के अनुबंध में

एक अनुचित और अनुचित शब्द होने और अनुबंध अधिनियम, 1872 की खंड 23 का उल्लंघन करने का विरोध किया जाता है।

(7) श्री संधू, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने शुरू में जोरदार तर्क दिया, लेकिन पूरी निष्पक्षता के साथ मामले को आगे नहीं बढ़ाया और इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाने में विवेक को देखते हैं।नतीजतन, पहले से मौजूद अधिकार या कर्मचारी की सहमति के मुद्दों में गए बिना या कि उसने पांच साल के बाद पैसे का दावा किया, मैं इस याचिका को खारिज कर दूंगा।श्रम न्यायालय अब अपने पास पड़ी राशि को प्रतिवादी कर्मचारी को वितरित करेगा और अपीलकर्ता से शेष राशि को भी शीघ्रता से जमा करने के लिए कहेगा।

(8) तदनुसार याचिका खारिज कर दी जाती है।

पी. एस. बाजवा/जे. ठाकुर

(1) 1985 (3) एस. सी. सी. 545

(2) 1986 (3) एससीसी 156

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

gurvinder kaur